भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं. 0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

निविदा संदर्भ– 3119/BSDS/GMPO/NIT(BMC)/54(XVIV) Date : 08/05/2024

टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु द्वितीय ई–निविदा सूचना :

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी मार्गो से भोपाल दुग्ध संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़, पचोर, आष्टा एवं शुजालपुर तक 7000 कि. ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को संघ द्वारा निर्धारित दर पर किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते है। निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/– जमा करना अनिवार्य है। शर्तो का विस्तृत विवरण **www.sanchibhopal.com** पर मात्र पाठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदाये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित रहेगा। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शाई गई वेबसाइट पर ही परिवर्तित किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा, अतः वेबसाइट का लगातार अवलोकन किया जाये।

निविदा डाऊनलोड प्रारंभ	निविदा शुल्क	प्रतिभूति राशि (रू0)	ऑनलाइन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय
08.05.2024 11.00 AM	1000/–	50,000/– प्रति मार्ग	28.05.2024 12:00 PM	29.05.2024 12:00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : **0755-2478250, 51, 52, 53** फैक्स,नं **0755-2450896** ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

– निविदा दस्तावेज – **मूल्य रूपये 1000/– मात्र**

ई–निविदा बाबत्	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी मार्गो से भोपाल दुग्ध संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़, पचोर, आष्टा एवं शुजालपुर तक 7000 कि. ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना।
निविदा संदर्भ	No : 3119/BSDS/GMPO/NIT(BMC)/54(XVIV) Dt : 08/05/2024
शेड्यूल–I	कार्य का विवरण एवं मार्ग वार रोड मिल्क टैंकर की आवश्यकता संबंधी विवरण
शेड्यूल– II	सामान्य निविदा शर्ते एवं निर्देश
शेड्यूल– III	परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्ते
शेड्यूल– IV	बी.एम.सी. समितियों – परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते
शेड्यूल– V	तकनीकी विवरण
शेड्यूल– VI	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोल टैक्स एवं समस्त कर सहित)
प्रतिभूति राशि	Rs. 50,000/- प्रति मार्ग
निविदा शुल्क रू.	Rs. 1000/-
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	28.05.2024 अपरान्ह 12:00 बजे तक
निविदा प्रस्तुतीकरण	– निविदा एवं समस्त दस्तावेज केवल ऑन लाईन (on line) ही प्रस्तुत किया जाना है।
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 29.05.2024 दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभा I क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं: 0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल–I

(अ) कार्य का विवरण

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्य क्षेत्र में स्थित –

संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न बीएमसी मार्गो से भोपाल दुग्ध संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़, आष्टा, पचोर एवं शुजालपुर तक 7000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है (तीन वर्षो की अवधि हेतु)। इस हेतु **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु किराये पर टैंकर लगाने के इच्छुक परिवहनकर्ताओं से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय, टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ता को करने होगे।

(ब) रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रं.	टैकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	7000 कि.ग्रा.	विभिन्न बीएमसी समितियों से मुख्य संयंत्र भोपाल, दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़, आष्टा, पचोर एवं शुजालपुर हेतु	20
		कुल	20 टैंकर

टीप :– मॉग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

शीतकेन्द्र का नाम	वर्तमान में संचालित एवं प्रस्तावित मिल्क टैंकर मार्ग क्रमांक	मिल्क टैंकर मार्ग का नाम (प्रारंभिक बीएमसी, डीसीएस एवं अंतिम बीएमसी डीसीएस का नाम शीतकेन्द्र का नाम)	टैंकर संख्या (नग)
भोपाल	01	काकरखेडा–खेरी–ब्रिजश नगर–बोरदी कलां– लसूडिया कांगर–कालापीपल जागीर–गाजी खेडी–पांग्रा–इच्छावर–पालखेड़ी–लसुडिया राम–मोगराराम–नरसिंहखेड़ा–ढाबलामाता – भाऊखेड़ी–जमुनिया हतेसिंह–मोहनपुर लेड़ी–अमझिर–अल्हाद खेडी–भोपाल	01
	07	पखनी–कोठरी–मानाखेडी–लसूडिया खास–खामलय–धामन्दा–दुर्गपुरा–तोरनिया–श्रामनगर –ढाबला राय–बिजोरा –अवंतीपुरा–भोपाल	01
	08	सोण्डा–पंचपिपलिया–चितावलिया वन–चितावलिया हेमा–गुड़भेला–लसुडिया परिहार–चोंडी–तज–दुपड़िया भील–फन्दाकला–फंदाखुद–बड़झिरी–मुल्लानी– मुस्करा–लालाखेड़ी –सतपीपल्या–जताखेड़ा–अमरोद–भोपाल	01
	14	पड़ली–नरेला सीहोर–खामलिया–रायपुर नयाखेड़ा–थुनाकलां –पचामा–बिजोरी–सेमली खुर्द–जमुनिया टेंक–हसनपुर–सेमरा दांगी–जेटली–तुमड़ा–बरखेड़ा सालम–भोपाल	01
	15	रामाखेड़ी–शाहपुर कोड़िया–रामेखेड़ी–खजूरी अल्हाद–संग्रामपुर–कचनारिया–भोपाल	01
	19	पनवाड़ी–झाड़ पिपालिया–महिला सुकली–गाथला–सरसखेड़ी –असरेटा पाबर–बुड़नपुर–जबरदी–अमलार–लसुड़िया रामनाथ–चाठा–पीपल्यारसोड़ा (पुरूष)–पीपल्यारसोड़ा (महिला) –पिपलिया तवा–इकलेरा–भोपाल	01
	20 (A)	चाटाहेड़ी–नयासमन्द–बरखेड़ी देव–बड़बेली कलां–बाबूखेड़ी–बरखेड़ीराम–परवलिया–परसौरा महिला–सेमरकलां–भोपाल	01
	20 (B)	बांदी खेड़ी–रूनाहा महिला–शुक्ला परसौरा–झिरनिया काकड़ –महुआ खेड़ा–इमलिया स्वरूप–खजूरिया रामदास–भोपाल	01
	21	कुठार–भुनगई–कलारा–रोड़िया–महोली–बरखेड़ा बरामद–भैंसोदा–निदानपुर–इमलिया नरेन्द्र–भोपाल	01
	32 (A)	दामखेडा–गरेठिया–दुगारिया–रानीखजूरी–सोहाया–मेगराकलां –भोपाल	01
	32 (B)	वर्धा–रूसल्ली–भोपाल	01
नरसिंहगढ़	11 (A)	निनोर–सवासी–मलावर–सालरियाखेड़ी–खाकरातेजा –ढकोरा –लखनवास–टोडी जांगीर–नरसिंहगढ़	01
	11 (B)	सुआहेड़ी–सेमली–केशरपुरा–माधोपुरा–सारस्यावे–काचरी	01
	18 (A)	किलखेड़ा–सिन्दुरिया–खेड़ी–देवली कलां–सांडा हेड़ी–चाटा ब्यावरा–चैनपुर कलां	01
	18 (B)	गनियारीपुरा–बड़ोरिया तालाब–मुंडला बंजरग– पिपलिया बाग–मुआवला दांगी–लसूड़िया गुर्जर– कचनारिया	01

शीतकेन्द्र का नाम	वर्तमान में संचालित एवं प्रस्तावित मिल्क टैंकर मार्ग क्रमांक	मिल्क टैंकर मार्ग का नाम (प्रारंभिक बीएमसी, डीसीएस एवं अंतिम बीएमसी डीसीएस का नाम शीतकेन्द्र का नाम)	टैंकर संख्या (नग)
पचोर	31 (A)	रतनपुरिया–भानपुरा–तुलसीपुरा–कांगनीपुरा–खजूरी महिला–कचनारिया–पचोर	01
	31 (B)	डूंगरपूर–मिटटूखेड़ी–रसूलपूरा–जैतपुरा–नगपुरिया– सण्डावता –भ्याना–पाडल्यामाता–भैसवामाता–पान्दा–खुजनेर–फून्दियॉ –पचोर	01
आष्टा	22	अरनियाराम–बफापुर ढाकनी–मुगली–गुराडिया रूपचंद–सामरदा–रसूलपुरा–सेवदा–तिलावद– बिशनखेड़ा–अरनिया कलां–ढाबलाघोसी–आष्टा	01
शुजालपुर	23	देवली–मुगोद–बटवाड़ी–पटलावदा–शुजालपुर	01
	24	पचौला–बसंतपुर–ताजपूर ऊकाला–दुग्धा–लहारखेड़ा–पिपलोदा–शुजालपुर	01

नोट –

- ❖ समयानुसार मार्ग की समितियां एवं दूरी घट–बढ़ सकती है।
- ❖ दूरी का भुगतान वास्तविक परिवहन के आधार पर दिया जायेगा।
- ❖ परिस्थिति अनुसार मार्ग में समितियों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
- ❖ संकलन की मात्रा के अनुसार ही मार्ग पर टैंकरों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है अथवा मार्ग बंद भी किया जा सकता है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं –0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

<u>शेड्यूल– II</u>

<u>दुग्ध परिवहन हेतु ई–निविदा की सामान्य शर्तें एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :</u>

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई–बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका प्रारुप संलग्न है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगें।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम का वाहन पंजीयन होना अनिवार्य है अर्थात निविदाकर्ता के नाम या परिवार के आश्रित सदस्य (पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, अविवाहित पुत्री) जो वयस्क हो, के नाम से ही टैंकर का पंजीकृत हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। **परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में भोपाल दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।**
5. **दर प्रस्तुतीकरण ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।**
6. **प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/–(पचास हजार) प्रति मार्ग, प्रति टैंकर के हिसाब से Online जमा कर, पावती की प्रति तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।** उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी। **बी.एम.सी. दुग्ध संकलन कार्य हेतु नियोजित होने वाले 7000 कि.ग्रा. क्षमता के प्रत्येक रोड मिल्क टैंकर हेतु सुरक्षा निधि रू. 03.00 लाख प्रति टैंकर निर्धारित है, जिसका डिमान्ड ड्राफ्ट औपचारिकता पूर्णता के समय जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि जमा होने पर ही कार्यादेश दिया जायेगा। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।**
7. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी अधिकृत सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तायरनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने पर BMC समितियों के दूध परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः तीन वर्ष की होगी। निविदा अवधि पूर्ण होने पर, कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहन की स्थिति तथा इंसुलेशन संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। अनुबंध की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा उपरान्त तकनीकी निविदा में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सभी टैंकरों के अभिलेखों का परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा, तद्उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

11. संघ को अच्छी स्थिति के टैंकरों की आवश्यकता है। **अतः टैंकर वर्ष 2017 या उसके बाद के वर्षो के निर्मित हो अन्यथा प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।**
12. परिवहनकर्ता को निर्धारित क्षमता 7000 कि.ग्रा. हेतु स्वीकृत की गई दर के प्रोरेटा आधार पर अधिकतम 9000 कि.ग्रा. क्षमता तक भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में 9000 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा परिवहन किये जाने पर अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। दुग्ध संघ द्वारा आवश्यकतानुसार कम मात्रा में दूध परिवहन किये जाने पर अनुमोदित क्षमता 7000 कि.ग्रा. के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
13. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र निविदा प्रस्तुत करना होगी। इस हेतु निविदा प्रपत्र रू 1000/– ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
14. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैंकर संचालन अनिवार्य रहेगा अन्यथा की दशा में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
15. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर निविदा निरस्त कर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।
16. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. **बीएमसी दुग्ध परिवहन में वर्तमान में कार्यरत सभी परिवहनकर्ताओं से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पक्ष में निविदा खोलने से पूर्व की देयक अवधि में उनके विरूद्ध वसूली योग्य राशि होने पर उसकी निविदा अमान्य की जायेगी।**
18. तकनीकी रूप से कम से कम तीन निविदाकार सफल होने पर वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार (L1) का चयन किया जायेगा।
19. तकनीकी रूप से समस्त सफल निविदाकार द्वारा एक ही दर प्रस्तुत किए जाने पर ही लॉटरी के माध्यम से सफल निविदाकार का चयन किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं. 0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE – III

सफल स्वीकृत निविदाकार/परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते :–

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चो कें लिये स्वंय उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। स्टाफ परिवर्तन की सूचना आवश्यक दस्तावेजो के साथ दुग्ध संघ को देना अनिवार्य होगा।
3. दुग्ध संयत्र एवं शीतकेंद्रों से बी.एम.सी समितियों की दूरियां सत्यापित की गई है, अथवा की जावेगीं जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
5. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस.सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा रू. 1,00,000/– की राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत दुग्ध परिवहन का पंजीयन अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा के साथ वैद्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
7. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। **परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 15 तक का देयक 20 तारीख तक तथा दिनांक 16 से 30/31 तक का देयक 05 तारीख तक नियमित तौर पर प्रस्तुत करना होंगे, दिनांक 05 एवं 20 को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस मान्य होगा। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर रू. 500/– प्रति दिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। यदि संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुये वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा कर प्रतिदिन ब्याज अधिरोपित करते हुये नियमानुसार वसूली कार्यवाही की जायेगी।**
8. बी.एम.सी समिति में भंडारित दूध को गेजमार्क से मात्रा को चैक कर तथा दूध गुणवत्ता परीक्षण के उपरान्त टैंकर में भरना होगा, निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैम्पल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदानुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

   परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वे दूध से भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुँचायें एवं उसकी दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में कोई अन्तर न आवे। बिन्दु 07 में उल्लेखित देयक अवधि में प्रति पंद्रह दिवस के आधार पर फैट एवं एस.एन.एफ. में आई कमी एवं आधिक्य की गणना कर प्राप्त कम फैट एवं एस.एन.एफ. का शत प्रतिशत कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जायेगा, उल्लेखनीय है कि दुग्ध संकलन में मिलावट, मात्रा, फैट/एस.एन.एफ. आदि की कमी हेतु परिवहनकर्ता पूर्णतः जवाबदार रहेगा। उक्त अंतर लगातार 07 दिन प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही की जावेगी। नियमों का

उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा, उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जायेगी तथा सुरक्षा राशि राजसात कर ली जायेगी।

विभिन्न बीएमसी से प्राप्त दूध को शीतकेन्द्र/संयंत्र द्वारा निर्धारित तौलकांटा पर ड्रायवर के समक्ष प्राप्त किये गये वजन अनुसार दूध प्राप्त किया जायेगा।

9. यदि टैंकर पर लगी सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फैट एवं एस.एन. एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रू. 50,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
10. परिवहन निर्देशों में मार्ग अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की जायेगी। उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहॉ न्यूनतम रू. 10,000/– का अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।
11. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।
12. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा, एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
13. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
14. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी। इस संदर्भ में आवश्यक बीमा कराने का दायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।
15. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्टिंग का रूपये 10000/– अर्थदंड लगेगा जिसका मिलान सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा।
16. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढ़ाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नही होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 10 मिनिट हेतु पूरे परिवहन काल में एक बार।
17. टैंकरो द्वारा परिवहन **R.T.O.** से सत्यापित क्षमता अनुसार होना आवश्यक है। 9000 लीटर क्षमता के अधीन रहते हुये **R.T.O.** से सत्यापित क्षमता का प्रोरेटा भुगतान किया जायेगा। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जिसका संपूर्ण अधिकार **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
18. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना–जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।
19. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरो की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।

20. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
21. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
    (i) टैंकर के पीछे ''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।
    (ii) टैंकर के दोनों ओर ''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया .... नम्बर पर सूचित करें।
    (iii) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विज्ञापन टैंकर पर लिखवाना अनिवार्य होगा।
    (iv) वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
22. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
23. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
24. स्वीकृत निविदाकार (परिवहनकर्ता) को भोपाल दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की सदस्यता रूपये 100/–जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
25. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

    7000 किग्रा क्षमता ------ 10 km/lit

26. निविदा स्वीकृत होने पर BMC समितियों के दूध परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः तीन वर्ष की होगी। निविदा अवधि पूर्ण होने पर, कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहन की स्थिति तथा इंसुलेशन संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। अनुबंध की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
27. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें ।
28. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रू. 5,00,000**/– के साथ–साथ संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर परिवहनकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संघ को हुई अन्य हानियाँ आपके देयकों से समायोजित की जायेगी।
29. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू0 1,00,000/– का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
30. यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके ।
31. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी कि वे संबंधित द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस थाने से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुँचाये, यह सामयिक स्थिति पर निर्भर करेगा।

32. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी । यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।
33. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
34. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को होगा ।
35. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऍक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की। साथ ही इन कारणों से दुग्ध संघ को होने वाली क्षति की वसूली भी परिवहनकर्ता से की जायेगी।
36. निविदा में वर्णित शर्तो के अनुरूप सेवाएं प्रदान न करने की दशा में क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
01	01 माह तक	लागत का 01 प्रतिशत
02	01 से 02 माह तक	लागत का 02 प्रतिशत
03	02 माह से अधिक	लागत का 05 प्रतिशत

37. निविदा के संबंध में आवश्यकतानुसार होने पर केन्द्रीय सर्तकता आयोग के निर्देशों के अनुसार ही निगोशियेशन की कार्यवाही की जावेगी।
38. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

    निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल

SCHEDULE – IV

बी.एम.सी. समितियों से टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन निविदा हेतु अन्य आवश्यक शर्तेः

1. यह कि, प्रतिदिन दुग्ध समितियों (बल्क मिल्क कूलर वाली) में संकलित दूध शीतकेन्द्र/डेयरी संयंत्र तक लाने की जबावदारी द्वितीय पक्षकार की रहेगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा आवश्कतानुसार डेयरी संयंत्र निर्देश में दिये जावेंगे। निर्देशानुसार समस्त दुग्ध समितियों का दूध (क्षमता अनुसार) लाना होगा, यदि एक बार में समस्त संकलित दूध नहीं आ सकें तो एक से अधिक बार दुग्ध संकलन हेतु आना–जाना होगा।
2. यह कि, टैंकर वाल्व में लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज होने की दशा में होने वाली दूध एवं गुणवत्ता की हानि टैंकर के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।
3. यदि प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध समितियों को कोई सामान भेजा जाता है तो निर्देशानुसार कार्यवाही करनी होगी।
4. यह कि, किसी कारण से यदि संकलन बंद रखा जाता है तो इसकी पूर्व सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी एवं ऐसे दिनों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
5. यह कि, निर्देशित समय से संस्थाओं का दूध डेरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, डेरी संयंत्र पर दूध नहीं पहुँचने की स्थिति में/दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संघ को जो भी अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी, वह राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक अथवा सुरक्षानिधि से काटी जावेगी एवं लगातार तीन बार शिकायत प्राप्त होने पर ब्लैक लिस्ट कर आगामी संघ की निविदाओं में सम्मिलित होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया जावेगा।
6. यह कि, प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्य जिनके लिए द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर हो, आदि कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फटा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
7. यह कि, क्रमांक 6 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर के मानवीय कृत्य, कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन पश्चात् कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
8. यह कि,एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है तथा दूध का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।
9. यह कि, वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में दुग्ध परिवहन हेतु वाहन नही भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जॉच में डीजल के स्थान पर घासलेट,मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण यदि शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को परिवहन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं सुरक्षानिधि राजसात की कार्यवाही की जावेगी।
10. यह कि, संघ के कार्य से संघ/संस्था कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

11. यह कि, संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी, यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड रू0 1000/– किया जावेगा।
12. यह कि, द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ प्रतिनिधि/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड लगाये या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें, अथवा दोनों कार्यवाही की जावेगी।
13. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने, असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बन्द करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वे इस अनुबंध को निरस्त कर सुरक्षानिधि जप्त कर लें, इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
14. यह कि, चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाने पर संबंधित परिवहनकर्ता एवं वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुऐ अनुबंध अवधि की समस्त दूध की कमी एवं इससे समिति/संघ को होने वाली हानि का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने एवं सुरक्षानिधि जप्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
15. यह कि, वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी, सरकारी, कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।
16. यह कि, द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिए द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वे इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं सुरक्षानिधि राजसात कर ले।
17. यह कि, डेयरी परिसर के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाया जावेगा, डेयरी परिसर में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिसर में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेगें। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात् जब तक वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ रहेंगें।
18. यह कि, वाहन का स्पीडोमीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः सुधरवाया जाना अनिवार्य होगा।
19. यह कि, इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की देय योग्य होगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष जबावदेह होगा।
20. यह कि, परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
21. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटों के बनवाये जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेगें एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
22. यह कि, अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि उसके देयकों से, सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से की जावेगी।
23. यह कि, डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

24. यह कि, अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उनके निजी कर्मचारी होगें, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को स्वयं ही रखना होगा।
25. यह कि, अनुबंधित वाहन की क्षमता किसी भी दशा में 7000 कि.ग्रा. से कम नहीं होना चाहिये।
26. यह कि, दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमताओं के टैंकरों के एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टैंकर को चला सकेगा एवं उसी अनुसार दूरी का भुगतान किया जावेगा, इसमें द्वितीय पक्ष का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।
27. यह कि, कार्य की आवश्कतानुसार टैंकरों को शीतकेंद्रों से भी दुग्ध परिवहन कार्य हेतु भेजा जा सकेगा ।
28. प्रत्येक माह के देयक अगले माह की दिनांक 05 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29. प्रत्येक माह की कटौत्रा राशि अगले माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से जमा की जानी होगी, अन्यथा उक्त राशि आपकी जमा अमानत राशि से समायोजित कर टैंकर संचालन बंद करने की कार्यवाही की जावेगी।
30. भोपाल दुग्ध संघ के **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को अधिकार होगा कि परिवहनकर्ता को 01 माह की नोटिस देते हुये कार्य से पृथक करते हुये अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
31. **यह कि, निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो पर सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर तथा सील होने पर सील सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

SCHEDULE – V

तकनीकी विवरण

1. निविदाकार का नाम – ....
2. पूरा पता – ....
3. फोन नं/मोबाईल नं. **(लगातार उपयोग होने वाला)** – ....
4. ई–मेल आईडी – ....
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार – ....
   (वाहन नं. के सम्मुख मार्ग क्रमांक का भी उल्लेख ....
   करे एवं स्वयं सत्यापित दस्तावेजो की छायाप्रति आवश्यक रूप संलग्न करें)
6. रोडमिल्क टेंकर क्षमता – ....
7. मॉडल तथा मेक – ....
8. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करे) – ....
9. खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पंजीयन (छायाप्रति संलग्न करे) – ....
10. शेड्यूल II की शर्त क्रमांक 1 (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड वचन पत्र संलग्न करे) – ....
11. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में नामित नही किया है (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर नोटराइज्ड वचन पत्र संलग्न करे) – ....
12. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है। (बी.एम.सी से डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र) – ....

– ....

निविदा फार्म में उपरोक्त दस्तावेज अपूर्ण अथवा संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी। भोपाल दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम –
मोबाइल नं.–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉंट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फेक्स,नं. 0755–2450896

ई–मेल. gmplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE – VI

दर प्रस्तुतीकरण पत्रक

(RATES SHOULD BE SUBMITTED IN THIS FORMAT)

FINANCIAL BID

क्रं.	टैंकर क्रमांक	मार्ग क्रमांक	दर प्रति कि.मी. (समस्त टोल टैक्स शामिल करते हुए)
1.			
2			
3			
4			
5			

नोटः– 1. निविदाकर्ता यदि 01 से ज्यादा मार्गो पर दर प्रस्तुत करना चाहता है तो उपरोक्त तालिका को संशोधित जानकारी का उल्लेख करे।

2. हाई स्पीड डीजल की वर्तमान दर – रू. ..../– प्रति लीटर अनुसार परिवहन करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

दिनांक – ....

नाम –

हस्ताक्षर –

पता–

मोबाईल नंबर –

वचन –पत्र

मैं............................आत्मज.............................आयु..........लगभग.....................निवासी.............................. भोपाल दुग्ध संघ में.................कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हू। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/संचालक/दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता ....
....

<u>सत्यापन</u>

मैं.. उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर विश्वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता ....
....
....

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY_______________between Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, through its CHIFE EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And …................................ (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide ________ Nos. of Road Milk Tankers for the transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No._____-____ Dt. After negotiations held on ------------

WHEREAS Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has adgreed to hire Insulated Road Milk Tanker for the Transportation of Milk in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which is given below :

S.NO	Capacity	Aproved Rate
1.		
2.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for Three years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date. In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit.

2. The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.

3. The terms and conditions are agreed as per the Complete tender document.

Signature:

IInd party

Name _____________________
Address ___________________

Signature:

I st party
CEO
Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit
Habibganj Bhopal - 462024

Witness:
1.___________________
2.___________________

Witness:
1. _________________
2. _________________